न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 582/2026
चंदन कुमार यादव बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड संख्या– 24/2026]
आदेश

09.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **चंदन कुमार यादव पे0 मुख्तार यादव** जो इस मामले में दिनांक **12.01.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या–582/2026, सिवान नगर थाना कांड संख्या–24/2026, अंतर्गत धारा–331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवशंकर सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 11.01.2026 को दोपहर 11:50 बजे सूचिका अपने घर से दुकान पर सामान लाने के लिए गई थी। वापस आई तो घर के मेन दरवाजा का ताला टूटा दिखा तो सूचिका दौड़ी हुई गई तो चंदन कुमार यादव सामने मिला। सूचिका को देखते ही वह सिढ़ी से छत पर जाकर पीछे की तरफ छत से कुदकर भाग गया तो सूचिका भागती हुई उसके पीछे गई पर वह भाग गया। फिर सूचिका भागती हुई कमरे के अंदर गई तो अलमीरा टूटा हुआ मिला जिसके सामने सामान बिखरा हुआ मिला जिसके अंदर 80 हजार कैश तथा सूचिका की बहु के जेवर एक भी नहीं है। सारा डब्बा नीचे बिखरा मिला जिसमें कान की बाली, हार, मंगलसूत्र, पांच अंगूठी, दो चैन सभी सोने का तथा पाजेब, डरकस, मेंहदी, झल्ला, बाल चोटी चांदी के इत्यादि सामान जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रूपए है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि प्रस्तुत मामला सूचिका सुधा देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदक की ओर से न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक को गांव की गंदी राजनीति के कारण इस झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढंत है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदक दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और आवेदक का नाम इस मामले में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिवान नगर थाना कांड संख्या–24/2026, अंतर्गत धारा–331(3), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध सूचिका के घर से 80000/– रूपए नगद और सोने एवं चांदी के आभूषण चुराने का आरोप लगाया गया है। आभूषण को आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से बरामद कर लिया

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 582/2026
चंदन कुमार यादव बनाम बिहार सरकार
[सिवान नगर थाना कांड संख्या– 24/2026]

09.06.2026

लगातार

गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 26 के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है जबकि जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। प्रस्तुत मामले में आवेदक के विरूद्ध आरोप का गठन हो चुका है और अभिलेख साक्ष्य हेतु चल रहा है। आवेदक दिनांक 12.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **चंदन कुमार यादव** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त के सह ग्रामीण होगें जो इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देंगे। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं या विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 09.06.2026

Date of Order/Judgment	09.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	09.06.2026
Uploading Date	10.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT